विज्ञप्ति

आंगनवाड़ी कार्यकत्री / मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्री / सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 11/2021/388/58–1–2020–2/1(22)10टी0सी0 दिनांक 29 जनवरी 2021 के क्रम में जनपद चित्रकूट में ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित 05 बाल विकास परियोजनाओं एवं शहरी क्षेत्र के 01 बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों के सापेक्ष आंगनवाड़ी कार्यकत्री के रिक्त 207, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्री के रिक्त 47 एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रिक्त 262 पदों पर शासनादेशानुसार गठित चयन समिति द्वारा मानदेय आधारित नियुक्ति/चयन हेतु रिक्त पद के ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) के निवासी महिला अभ्यर्थियों से दिनांक 19.07.2021 से दिनांक 09.08.2021 तक विभागीय वेबसाइट **http://balvikasup.gov.in** पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आंगनवाड़ी कार्यकत्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों का परियोजनावार/ग्राम सभावार/वार्डवार/केन्द्रवार एवं आरक्षणवार विस्तृत विवरण पात्रता की शर्ते व चयन प्रक्रिया का विस्तृत विवरण विभागीय कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा एवं विभागीय वेबसाइट **http://balvikasup.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	रिक्त पदों का विवरण		
		आंगनवाड़ी कार्यकत्री	मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्री	आ0बा0सहायिका
1	कर्वी	90	11	92
2	पहाड़ी	21	13	25
3	रामनगर	26	07	51
4	मऊ	21	05	38
5	मानिकपुर	45	11	51
6	शहर	04	00	05
योग :–		**207**	**47**	**262**

उपरोक्त पदों का ग्रामवार/वार्डवार रिक्त पदों का विवरण एवं आरक्षण विभागीय वेबसाइट **http://balvikasup.gov.in** पर अपलोड कर दिया गया है एवं जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, जनपद के सभी तहसील कार्यालय, विकास खण्ड कार्यालय एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा है।

1. उक्त रिक्त पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होगें।
2. आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्री के लिये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल एवं सहायिका के लिये कक्षा– 05 पास होना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी प्रविष्टियां अभिलेखों के अनुसार तथ्यों का मिलान करते हुए ध्यान पूर्वक भरे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में एवं अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र निरस्त करते हुए अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
3. आयु सीमा– न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष होगी। अर्ह सहायिकाओं द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकत्री के पद पर आवेदन किये जाने की स्थिति में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। आयु के सम्बन्ध में आंगनवाड़ी कार्यकत्री/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्री के लिये हाईस्कूल प्रमाण पत्र एवं सहायिकाओं के लिये कक्षा– 05 जैसी भी स्थिति हो, स्कूल से जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। आयु की गणना 01 जुलाई 2021 से मानी जायेगी। 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुकी सहायिका/विधवा/परित्यक्ता/गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभ्यर्थिनियों को नियमानुसार चयन में वरीयता दी जायेगी।
4. 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरान्त मानदेय सेवाएं स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्रामसभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित केन्द्र की सहायिका, जिनकी न्यूनतम अर्हकारी सेवा 05 वर्ष पूरी हो चुकी हो तथा हाईस्कूल उत्तीर्ण हो एवं उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक न हो पात्र होगी।

आंगनवाड़ी कार्यकत्री/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं के नियुक्ति/चयन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों को प्रथम वरीयता देते हुए नियमानुसार किया जायेगा। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। गरीबी रेखा का मानक प्रति परिवार ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/– तथा शहरी क्षेत्र में रू0 56460/– वार्षिक आय होगी।

7. सहायिका के उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्राम/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिला का चयन किया जायेगा, विधवा महिला उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला का चयन किया जायेगा। तदोपरान्त गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला के उपलब्ध न होने की दशा में गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाली महिलाओं के चयन पर विचार किया जायेगा।
8. विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला के सम्बन्ध में नियमानुसार सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
9. आवेदिका को रिक्त पद के ग्राम सभा/वार्ड का निवासिनी होना अनिवार्य है। निवास, आय व जाति के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
10. ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 09 अगस्त 2021 है।
11. उपरोक्त पदों की अर्हता आवेदन की प्रक्रिया एवं विस्तृत जानकारी हेतु उपरोक्त वेबसाइट का अवलोकन करें तथा http://shasnadesh.up.in से उपरोक्त शासनादेश डाउनलोड कर ठीक प्रकार से पढ़ लें।
12. आवेदन नियमानुसार न पाये जाने पर आवेदन को निरस्त किये जाने का अधिकार चयन समिति/नियुक्ति प्राधिकारी में निहित होगा।

(मनोज कुमार)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
चित्रकूट।

कार्यालय : जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0, चित्रकूट।
पत्रांक 8257/जि0का0अधि0/आ0बा0 चयन प्रकोष्ठ/2021–22 दिनांक :– 17/07/21
प्रतिलिपि : निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय, चित्रकूट को अवलोकनार्थ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट।
4. मुख्य कोषाधिकारी, चित्रकूट।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, चित्रकूट।
6. समस्त उप जिलाधिकारी, चित्रकूट।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, चित्रकूट को सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु।
8. समस्त सदस्य, आंगनवाड़ी चयन समिति, चित्रकूट।
9. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति की अपने कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें।
10. जिला सूचना अधिकारी चित्रकूट को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति का जनपद में व्यापक प्रसार वाले किन्ही दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में न्यूनतम स्थान में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
11. कार्यालय प्रति।

17/07/021
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
चित्रकूट।